



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



14 अग्रहायण, 1945 (श०)

संख्या - 713 राँची, मंगलवार

5 दिसम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

4 अक्टूबर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-28/2014-24398 (HRMS)--श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-608/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-199/म०को०, दिनांक 21.02.2012 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री कुमार के विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित है-

(i) ग्राम पंचायत बंधुआ, जुंगुर, जान्हो, पल्हैया एवं डोंकी में प्रति 125 एकड़ कुल 500 एकड़ में वृक्षारोपण मार्गदर्शिका में निहित प्रावधाननुसार कराना था, जिसके विरुद्ध बंधुआ-4, जुंगूर-6 एवं जान्हो-5.75 एकड़ में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। योजना स्थल पर सूचनापट्ट नहीं लगाया गया है तथा प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण के बाद 3 वर्ष तक रख-रखाव सुनिश्चित नहीं कर कार्यान्वयन कराने में कोताही लापरवाही बरती गयी है ।

(ii) योजना से संबंधित मस्टर रॉल, अभिश्रव, मापी पुस्त का संधारण संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं रहना, कार्यों के प्रति कोताही, लापरवाही, उदासीनता को दर्शाता है ।

(iii) जान्हो पंचायत का परहिया टोला (योजना संख्या- 26/2007-08) में दिनांक 17.07.2007 को 4,00,000/- (चार लाख) रुपये, दिनांक 27.07.2007 को 6,00,000/- (छः लाख) रुपये, दिनांक 06.08.2007 को 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये एवं दिनांक 20.08.2007 को 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये एवं दिनांक 06.09.2007 को 10,00,000/- (दस लाख) रुपये एवं बंधुआ ग्राम में (योजना संख्या- 27/07-08) दिनांक 20.09.2007 को 7,00,000/- (सात लाख) रुपये, दिनांक 01.10.2007 को 7,00,000/- (सात लाख) रुपये बिना पूर्व अग्रिम के समायोजन के बारम्बार अग्रिम देकर सरकारी राशि के दुरुपयोग/अनियमितता का आरोप बनता है।

(iv) तत्कालीन उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-2254, दिनांक 18.12.2007 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत जेट्रोफा पौधारोपण के संबंध में 8 बिन्दुओं पर कार्यान्वयन के निदेश का अनुपालन करने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-98, दिनांक 18.01.2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में योजनावार प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। इसी प्रकार तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-346, दिनांक 07.03.2008, पत्रांक-2254, दिनांक 18.12.2007 एवं पत्रांक-98, दिनांक 18.01.2008 द्वारा दिये गये पत्र का प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण स्मार पत्र दिया गया परन्तु प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। स्मार पत्र पत्रांक-202, दिनांक 11.02.2008 के द्वारा वर्णित तथाकथित पायी गयी अनियमितता के संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन की माँग की गयी थी परन्तु उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कार्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा आदेशों की अनदेखी करने एवं अनुशासनहीनता का आरोप बनता है।

2- उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-9961, दिनांक 15.10.2013 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-372, दिनांक 10.07.2014 से समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है।

3- श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त, विभागीय संकल्प सं0-5205, दिनांक 10.06.2015 द्वारा इनके विरुद्ध असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49(1) एवं (2) के तहत निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

4- उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका सं0-W.P.(S) NO. 3790/2015 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2020 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं0-5205, दिनांक 10.06.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए इनसे द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

5- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-5205, दिनांक 10.06.2015 द्वारा अधिरोपित निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संबंधी दण्डादेश को विभागीय संकल्प सं0-1124, दिनांक 23.02.2021 द्वारा रद्द किया गया तथा संचालन

पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में असहमति के बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए विभागीय पत्रांक-1190, दिनांक 24.02.2021 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

6- उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित जवाब निम्नवत् है-

(क) प्रस्तावित दण्ड के निमित्त द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निर्गत पत्र के कंडिका-5(i) के संबंध में कहना है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा जेट्रोफा की खेती किये गये 375 एकड़ भूमि का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इस भूमि के विवरण संबंधी प्रतिवेदन को निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार जेट्रोफा की खेती किये जाने जमीन का रकबा निम्न प्रकार है- ग्राम बन्दुआ-115 एकड़, ग्राम बन्दुआ नान्होछाइन- 10.00 एकड़, ग्राम बन्दुआ खरवारनाला- 45.05 एकड़, ग्राम बन्दुआ बहेराटाँड़- 52.72 एकड़, ग्राम जान्हो पननमा पहरिया टोला-75.10 एकड़, सिराटाँड़- 46.10 एकड़, ग्राम बन्दुआ चादर नं0-1- 31.05 एकड़

उक्त सभी 375 एकड़ भूमि में कराये गये वृक्षारोपण संबंधी कार्य का विवरण अंचल के कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किये गये हैं। कर्मचारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि $115+10=125$ एकड़ में वृक्षारोपण कराया जा रहा है तथा $45.05+52.72+75.10+31.05+46.10=250.02$ एकड़ में जेट्रोफा वृक्षारोपण संपन्न कराया जा चुका है। उक्त जमीन संबंधित प्रतिवेदन निदेशक, DRDA लातेहार द्वारा अभिप्रमाणित है।

पुनः जिला उद्यान पदाधिकारी-सह-तकनीकी स्वीकृति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा समय-समय पर निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन दिया गया है। जिला उद्यान पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 26.09.2007 को प्रतिवेदित किया गया है कि 250 एकड़ में वृक्षारोपण किया जा चुका है। पुनः जिला उद्यान पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 10.10.2007 को प्रतिवेदित किया गया है कि 125 एकड़ में वृक्षारोपण का कार्य किया जा चुका है। पुनः जिला उद्यान पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 03.05.2008 को प्रतिवेदित किया गया है कि 375 एकड़ में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।

उक्त कर्मचारी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी, लातेहार के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि 375 एकड़ में वृक्षारोपण की गई थी। इनका स्थानांतरण दिनांक 26.10.2007 को हो गया था। प्रभार त्याग के बाद पौधे की रख-रखाव की जवाबदेही इनके प्रतिस्थानी की थी न कि इनकी। उक्त के आलोक में पत्र के कंडिका-5(i) के आरोप स्वीकार्य नहीं है, अतः इस आरोप से बरी की जाय।

(ख) प्रस्तावित दण्ड हेतु निर्गत पत्र के कंडिका-5(ii) के संबंध में कहना है कि मनिका प्रखण्ड में नरेगा योजना अन्तर्गत खेती एवं विपणन के लिये झारखण्ड विकास मोर्चा, धनबाद को जेट्रोफा वृक्षारोपण हेतु उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार के ज्ञापांक-1267/अभि0, दिनांक 13.07.2007 से 2 (दो) यूनिट तथा ज्ञापांक-1268/ अभि0, दिनांक 14.07.2007 से 2 (दो) यूनिट कुल-4 (चार) यूनिट (प्रति यूनिट 125 एकड़) कुल रकबा 500 एकड़ में जेट्रोफा वृक्षारोपण हेतु कार्यालय आदेश निर्गत किया गया था। ज्ञापांक-1267/अभि0, दिनांक 13.07.2007 द्वारा स्वीकृत 250 एकड़ के वृक्षारोपण संबंधी स्वीकृत्यादेश में योजना कार्यान्वयन हेतु निर्देश/शर्त के कंडिका-5 के

अनुसार पौधा, खाद, भूमि की तैयारी एवं रख-रखाव मद की राशि संबंधित जेट्रोफा उत्पादक समिति को तथा प्रशिक्षण विपणन एवं कार्यान्वयन व्यय की राशि संबंधित स्वयंसेवी संस्था को विमुक्त की जायेगी। लेकिन उपायुक्त, लातेहार के ज्ञापांक-1268/अभि0, दिनांक 14.07.2007 से 2 (दो) यूनिट 250 एकड़ में योजना की स्वीकृति दी गई, उसमें योजना कार्यान्वयन हेतु निर्देश-शर्त के कंडिका-5 का जिक्र नहीं किया गया था पत्र के अंत में यह निर्देश भी दिया गया था कि ज्ञापांक-1267/अभि0, दिनांक 13.07.2007 को इस पत्र के अनुसार संशोधित समझा जाय ।

इस प्रकार पौधा, खाद, भूमि की तैयारी एवं रख-रखाव मद की राशि संबंधित जेट्रोफा उत्पादक समिति को देने का निर्देश जो कि ज्ञापांक-1267/अभि0, दिनांक 13.07.2007 के कंडिका-5 में था, को ज्ञापांक-1268/अभि0, दिनांक 14.07.2007 के आलोक में विलोपित कर दिया गया था। उपायुक्त, लातेहार- सह-योजना कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार के ज्ञापांक-1268/अभि0, दिनांक 14.07.2007 के अंतिम कंडिका में दर्ज है “पूर्व के निर्गत आदेश ज्ञापांक-1267, दिनांक 13.07.2007 को आंशिक संशोधन किया जाता है। उपर्युक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन किया जाय”।

इस प्रकार उपायुक्त, लातेहार-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के ज्ञापांक-1268/अभि0, दिनांक 14.07.2007 द्वारा निर्गत आदेश योजना के कार्यान्वयन के समय प्रभावी था और ज्ञापांक-1267/अभि0, दिनांक 13.07.2007 की योजना भी ज्ञापांक-1268/अभि0, दिनांक 14.07.2007 के आलोक में कार्यान्वित की गई। दोनों स्वीकृत्यादेश में स्वयंसेवी संस्था झारखण्ड विकास मोर्चा के सहयोग से योजना कार्यान्वित कराने का निर्देश था तथा एकरारनामा अनिवार्य रूप से करने का निर्देश था ।

दोनों स्वीकृत्यादेश के आलोक में 375 एकड़ के वृक्षारोपण के लिये झारखण्ड विकास मोर्चा, धनबाद के साथ एकरारनामा कराया गया तथा नियमानुसार अग्रिम का भुगतान किया गया था। उनके द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं बरती गयी है। अतः पत्र के कंडिका-5(ii) के आरोप निराधार है एवं स्वीकार्य नहीं है, अतः इस आरोप से मुक्त की जाय ।

विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में यह Observation पाया गया है कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के विपरीत प्रतिवेदन गठित कर विभाग द्वारा दण्ड का प्रस्ताव दिया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2020 को पारित न्यायादेश द्वारा निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड को निरस्त कर दिया गया था ।”

7- श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा पर विभागीय पत्रांक-3234, दिनांक 16.07.2021 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1622, दिनांक 18.11.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है-

(i) श्री अनिल कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका द्वारा विभागीय असहमति की कंडिका-5(i) के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में जेट्रोफा पौधारोपण किये जाने से संबंधित कुल 375 एकड़ भूमि का विवरण से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो संबंधित अंचल के राजस्व कर्मचारी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा सम्पुष्टि की गई है, जो तत्कालीन निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के द्वारा भी अभिप्रमाणित किया गया है, जिसके आधार पर श्री कुमार द्वारा समर्पित जवाब स्वीकार करने हेतु विचार किया जा सकता है।

(ii) पौधा, खाद, भूमि की तैयारी एवं रख-रखाव मद की राशि संबंधित जेट्रोफा उत्पादक समिति को देने का निर्देश, जो कि ज्ञापांक-1267/अभि0, दिनांक 13.07.2007 की कंडिका-5 में दर्ज था, को आदेश ज्ञापांक-1268/अभि0, दिनांक 14.07.2007 के आलोक में विलोपित कर दिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय असहमति की कंडिका-5(ii) के संबंध में श्री कुमार द्वारा समर्पित जवाब स्वीकार करने हेतु विचार किया जा सकता है।

8- श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर उपायुक्त, लातेहार द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में अंचल के कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित 375 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण कार्य एवं उक्त से संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन तथा उक्त भूमि विवरणी संबंधित प्रतिवेदन को निदेशक, डी0आर0डी0ए0 द्वारा सत्यापित किये जाने मात्र के आधार पर आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित बिन्दुओं का अप्रमाणित करने से संबंधित कोई साक्ष्य या महत्वपूर्ण बिन्दु नहीं प्रस्तुत किया गया है।

(ii) द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निर्गत पत्र में अंकित तथ्य कि योजना अभिलेख नहीं मिलने के कारण आरोपी पदाधिकारी को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता है। किसी भी योजना में निकासी की गई राशि की उपयोगिता स्थल पर कराये गये कार्य से प्रमाणित होता है और अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार के नेतृत्व में गठित जाँच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में कुल 375 एकड़ जेट्रोफा पौधारोपण के स्थान पर मात्र 15.57 एकड़ में ही उपलब्ध वृक्षारोपण कार्य प्रतिवेदित किया गया है, के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में कोई संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुरूप कार्य योजना स्थल पर नहीं पाया गया है।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्रतिवेदित है कि उपायुक्त, लातेहार के ज्ञापांक-1268, दिनांक 14.07.2007 से दो यूनिट (250 एकड़) में जेट्रोफा वृक्षारोपण से संबंधी स्वीकृत्यादेश आदेश में स्वीकृत आदेश सं0-1267, दिनांक 17.07.2007 की कंडिका-05 "पौधा, खाद, भूमि की तैयारी एवं रख-रखाव मद की राशि संबंधित जेट्रोफा उत्पादक समिति को

तथा प्रशिक्षण, विपणन एवं कार्यान्वयन व्यय की राशि संबंधी स्वयं सेवी संस्था को विमुक्त किया जायेगा” को हटा दिया गया है एवं तदनुरूप स्वीकृत्यादेश 1268 को इस हद तक संशोधित कर दिया गया था ।

परन्तु आरोपी पदाधिकारी का यह तथ्य भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा समर्पित स्वीकृत्यादेश सं०-1268, दिनांक 17.07.2007 की छायाप्रति में यह अंकित नहीं है कि उक्त मद की राशि संबंधित स्वयं सेवी संस्था को भुगतान किया जाना है ।

(iv) आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध संबंधित आरोप के लिए मनिका थाना कांड सं०-75/10, दिनांक 26.11.2010 दर्ज है, जिसमें आरोप पत्र दायर है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अनिल कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार द्वारा प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi)के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANIL KUMAR BHR/BAS/2996	श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-608/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
